

न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर
सरकार बनाम जगदीश सिंह

मुकदमा नम्बर 43/2026/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

27.03.2026

पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी भागीरथ सिंह पुत्र हरमान राम जाति जाट (मालिक) निवासी ग्राम उदरासर जिला बीकानेर मैसर्स- मां करणी जोधपुर स्वीट होम, पिपराली सर्किल, सीकर उपस्थित। अप्रार्थी ने उपस्थित आकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2025 को निरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा विक्रय किये जा रहे दही का नमूना लिया गया। उक्त नमूना Sub-standard का पाया गया। प्रार्थी का छोटा कारोबार है एवं प्रकरण में प्रार्थी के कारोबार को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली के सलंगन दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ- 4569 खाद्य पदार्थ दही का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Sub-standard का पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु अनुरोध किया। प्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थों का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी के 12,000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

22
97/3/26

न्याय निणयक अधिकारी
एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट)
सीकर (राज.)

